



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 334]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 14, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. CT-8-0019-2025-Sec-1- पांच (CT) (45).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2020 है.
(2) यह अधिसूचना 1 जुलाई 2020 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी तथा दिनांक 14 अक्टूबर 2020 तक प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.

2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 67क के स्थान पर निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"67क. लघु संदेश सेवा सुविधा के द्वारा विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रबंध—इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में जिसे धारा 39 के अंतर्गत प्ररूप जीएसटीआर—3ख में किसी कर अवधि की 'शून्य' विवरणी भरना अपेक्षित हो या जिसका धारा 37 अंतर्गत के प्ररूप जीएसटीआर—1 में किसी कर अवधि का जावक आपूर्तियों का ब्यौरा शून्य हो, इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे जाने के किसी भी संदर्भ में उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों का ब्यौरा को रजिस्ट्रीकृत मोबाइल का प्रयोग करके लघु संदेश सेवा के माध्यम से भरे जाने की बात भी शामिल होगी और उक्त विवरणी या जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का सत्यापन उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर आधारित 'वन टाइम पासवर्ड' की सुविधा के आधार पर किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.— इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'शून्य' विवरणी या शून्य जावक आपूर्तियों के ब्यौरे का मतलब, किसी कर अवधि के लिए, धारा 39 के अधीन कोई ऐसी विवरणी है या धारा 37 के अधीन कोई ऐसी जावक आपूर्तियों का ब्यौरा है, जिसमें प्ररूप जीएसटीआर—3ख या प्ररूप जीएसटीआर—1 की सभी सारणी में शून्य दर्शाया गया हो या उसमें कोई प्रवृष्टि ना हो, जैसी भी स्थिति हो."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. CT-8-0019-2025-Sec-1-पांच (CT).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0019-2025-Sec-1-पांच (CT) (45), दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No. CT-8-0019-2025-Sec-1-V(CT)(45).- In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2020.
- (2) This notification shall deemed to come into effect from 1st July, 2020 and shall remain effective till 14th October 2020.

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), for the rule 67A, the following rule shall be substituted, namely:-

"67A. Manner of furnishing of return or details of outward supplies by short messaging service facility.- Notwithstanding anything contained in this Chapter, for a registered person who is required to furnish a Nil return under section 39 in FORM GSTR-3B or a Nil details of outward supplies under section 37 in FORM GSTR-1 for a tax period, any reference to electronic furnishing shall include furnishing of the said return or the details of outward supplies through a short messaging service using the registered mobile number and the said return or the details of outward supplies shall be verified by a registered mobile number based One Time Password facility.

Explanation.- For the purpose of this rule, a Nil return or Nil details of outward supplies shall mean a return under section 39 or details of outward supplies under section 37, for a tax period that has nil or no entry in all the Tables in FORM GSTR-3B or FORM GSTR-1, as the case may be."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.